



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122023-250904
CG-DL-E-26122023-250904

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 731]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 2023/पौष 5, 1945

No. 731]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 2023/PAUSHA 5, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2023

सं. 16/2023- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 915(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और ओमान (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “कम से कम एक ओर से लेमिनेशन वाले जिप्सम बोर्ड/ टाइलें”, (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 68 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना फा. संख्या 06/11/2022-डीजीटीआर, दिनांक 29 सितम्बर, 2023, जिसे दिनांक 29 सितम्बर, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि –

- विचाराधीन उत्पाद का विषयगत देशों से भारत को निर्यात इसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया था जिस कारण डंपिंग हुई;
- विषयगत वस्तुओं की डंपिंग के कारण भारत के घरेलू उद्योगों को सारवान क्षति हुई है; और
- भारत में घरेलू उद्योग को सारवान क्षति विषयगत देशों से हुए विषयगत फालतू आयातों के कारण हुई है,

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः, अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	68069000/ 68080000/ 68091100/ 68091900/ 68099000	कम से कम एक ओर से लेमिनेशन वाले जिप्सम बोर्ड/ टाइलें	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	ड्रीम ब्रांड न्यू मेटेरियल्स (पिंगयी) कं. लिमिटेड	23.46	मिट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	शिजियाहुआंग डीयान यु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लिमिटेड	35.68	मिट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्रम संख्या (1)से(2) में उल्लिखित से भिन्न कोई अन्य उत्पादक	47.62	मिट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	-तदैव-	-तदैव-	विषयगत देशों के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	47.62	मिट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	-तदैव-	-तदैव-	ओमान	ओमान	ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कंपनी एलएलसी	71.80	मिट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	-तदैव-	-तदैव-	ओमान	ओमान सहित कोई भी देश	क्रम संख्या (5) में उल्लिखित से भिन्न कोई अन्य उत्पादक	91.42	मिट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

7.	-तदैव-	-तदैव-	विषयगत देशों के अलावा कोई भी देश	ओमान	कोई भी	91.42	मिट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
----	--------	--------	----------------------------------	------	--------	-------	------------	--------------

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा और भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 190354/230/2023-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2023

No. 16/2023-Customs (ADD)

G.S.R. 915(E).—Whereas, in the matter of “Gypsum Board / Tiles with lamination at least on one side” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under chapter 68 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from People’s Republic of China and Oman (hereinafter referred to as subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification F. No. 06/11/2022-DGTR, dated the 29th September, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29th September, 2023, has come to the conclusion, *inter alia*, that-

- the product under consideration has been exported to India at a price below the normal value, resulting in dumping;
- the dumping of the subject goods has materially retarded the establishment of the domestic industry in India.;
- the material retardation to the establishment of the domestic industry in India is due to the subject dumped imports from the subject countries,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act 1975 (51 of 1975) read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), which are imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :-

TABLE

Sl. No	Heading	Description	Country of origin	Country of Export	Producer	Amount of Duty	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	68069000/ 68080000/ 68091100/ 68091900/ 68099000	Gypsum Board / Tiles with lamination at least on one side	China PR	China PR	Dream brand new materials (Pingyi) co. ltd.	23.46	MT	USD
2	-do-	-do-	China PR	China PR	Shijiazhuang DianYu Import and Export co. ltd.	35.68	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other producer excluding producers mentioned in Sl. No. (1) to (2) above	47.62	MT	USD
4	-do-	-do-	Any country Other than subject countries	China PR	Any	47.62	MT	USD
5	-do-	-do-	Oman	Oman	Global Gypsum Board Co. LLC.	71.80	MT	USD
6	-do-	-do-	Oman	Any country including Oman	Any other producer excluding producers mentioned in Sl. No. (5)	91.42	MT	USD
7	-do-	-do-	Any country Other than subject countries	Oman	Any	91.42	MT	USD

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.—For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 190354/230/2023-TRU]

NITISH KARNATAK Under Secy.